वर्ष 4 अंक 6 जून 1982 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

चुनावों के परिणाम

बी.टी. रणदिवे

पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग व जनता को मई चुनावों में उनकी भारी जीत के लिए सीटू बधाई देती है. उन्होंने कांग्रेस (आई) को जिसे अब जनता पार्टी जैसी अन्य बुर्जुवा पार्टियों का समर्थन मिला था उखाड़ फेंका है और अधिनायकवादी पार्टी की योजनाओं को निश्चित शिकस्त दी है.

हमारे उपाध्यक्ष, कामरेड ज्योति बसु, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा सरकार की अध्यक्षता की है, विशेष बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने अधिनायकवादी, साम्प्रदायिक व फूटपरस्त ताकतों की इसे अस्थिर करने की सभी साजिशों के बावजूद पूरे पांच साल सरकार चलाई है.

पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग क्षेत्रों में वाम मोर्चे को भारी मत मिले हैं और विजयी उम्मीदवार भारी मतों से जीते हैं. इस बड़ी जीत को शक्ल देने में सीटू के प्रभाव के गढ़ सबसे आगे रहे हैं.

मजदूर वर्ग व किसान जनता के भारी समर्थन ने सी पी आई (एम) को पूर्ण बहुमत और वाम मोर्चे को तीन-चौथाई से भी ज्यादा बहुमत दिया है.

पश्चिम बंगाल का मजदूर वर्ग व जनता अब यह उम्मीद कर सकते हैं कि वाम मोर्चा सरकार उनके जनवादी अधिकारों की सुरक्षा में और उनके जीवनयापन व कार्य के हालात में सुधार के लिए एक बार और पूरे पांच साल काम करेगी.

वाम मोर्चे के नेतृत्व में जनवादी ताकतों की यह महान जीत समूचे देश में अधिनायकवाद विरोधी ताकतों को मजबूत करेगी. यह समूचे ट्रेड यूनियन आन्दोलन का आह्वान करती है कि वह अधिनायकवाद के खिलाफ निर्णायक संग्राम के लिए वामपंथी ताकतों का समर्थन करें.

सीटू केरल के मजदूर वर्ग व जनता को प्रतिक्रियावादी ताकतों के शक्तिशाली गठबंधन के खिलाफ उनके महान संघर्ष के लिए बधाई देती है. कांग्रेस (आई) के नेतृत्व में यह उन दल बदलुओं व विनाशकारियों का प्रतिनिधित्व करता है जिसने नायनार सरकार के जनप्रिय कदमों के खिलाफ विद्रोह किया; इसे इन्डियन यूनियन मुस्लिम लीग, कैथोलिक चर्च व जात-पात वाले संगठनों जैसी जानीमानी साम्प्रदायिक ताकतों का समर्थन प्राप्त था.

इसके बावजूद कांग्रेस (आई) गठबन्धन केवल मामूली जीत ही प्राप्त कर सका और इस अवसरवादी गठबन्धन की अस्थिरता आसानी से देखी जा सकती है.

इस गठबन्धन द्वारा जीती गई 77 सीटों में से कांग्रेस (आई) की केवल 20 सीटें हैं जो साफ जाहिर करती हैं कि इसने साम्प्रदायिक ताकतों के आगे किस हद तक आत्मसमर्पण कर दिया है. इन्डियन यूनियन मुस्लिम लीग की 14 सीटों के बिना कांग्रेस (आई) गठबन्धन स्पष्ट अल्पसंख्यक है.

इसलिए कांग्रेस (आई) की सफलता साम्प्रदायिक ताकतों के आगे अपने सम्मानरहित आत्म समर्पण पर आधारित है.

नई सरकार के तहत केरल के मजदूर वर्ग व जनता पर दबाव डाला जाने व उनके गुंडा कार्यवाहियों का शिकार होने की सम्भावना है. इसका पहला काम होगा नायनार सरकार के बेरोजगारी भत्ता और खेतिहर मजदूरों के लिए वृद्धावस्था पेंशन जैसे प्रगतिवादी कदमों को वापस लेना.

केरल के मजदूर वर्ग व जनता, खेतिहर मजदूरों व छोटे किसानों को इन हमलों का प्रतिरोध करना होगा. उन्हें जनता के जनवादी अधिकारों, ट्रेड यूनियन आन्दोलन की स्वतंत्रता, जिन पर हमले अवश्य होने हैं की रक्षा करनी होगी.

समूचे भारत के मजदूर वर्ग में वामपंथी ताकतें वाम-जनवादी मोर्चे (एल डी एफ) द्वारा किए गए मुकाबले और प्रतिक्रियावादी ताकतों के हमले का प्रतिरोध करने में इसकी सफलता की काफी प्रशंसा करती हैं. तानाशाही ताकतों के हमलों को धराशायी करने के लिए केरल की जनवादी ताकतों

4 जून को अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस मनाएं

के लिए विधान सभा में एल डी एफ के 63 सदस्य एक शक्तिशाली ढाल हैं.

हरयाणा व हिमाचल के चुनाव भी यह जाहिर करते हैं कि कांग्रेस (आई) तेजी से गिर रही है. हरयाणा में, पिछले दरवाजे से यह सरकार में घुसी है. हरयाणा के राज्यपाल ने भजन लाल के सरकार बनाने के दावे को स्वीकार करके अपने आप को अपमानित कर लिया है. उसने केन्द्र की शासक पार्टी के चमचे की तरह काम किया है.

हिमाचल में कांग्रेस (आई) की बी. जे. पी. जैसी प्रतिक्रियावादी पार्टी द्वारा लगभग पिटाई कर दी गई है.

भारी बहुमत के साथ दो सालों के अपने शासन के अंदर कांग्रेस (आई) भाग खड़ी हुई है. इसका प्रभाव हर रोज घटता जा रहा है. उत्तर प्रदेश में बहुगुणा की जीत भी इसके तेजी से घटते प्रभाव को दर्शाती है.

वह पार्टी, जो मजदूर वर्ग विरोधी व जनविरोधी नीतियां अपना रही हो, जो मजदूर वर्ग के लिए नई बेड़ियां तैयार कर रही हो, जो राष्ट्रपति-प्रणाली थोपने की साजिश कर रही हो, और देश को आई एम एफ के पास गिरवी रख रही हो, इस तरह के अंजाम से कैसे बच सकती है.

भारत के मजदूर वर्ग और जनता को इस अधिनायकवादी पार्टी का मुकाबला करने व इसे सत्ता से वंचित करने के लिए अपनी कोशिशों को अब दोगुना कर देना चाहिए. भारी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल का वाम मोर्चा जनवादी ताकतों के लिए एक शक्तिशाली किला है. त्रिपुरा वाम मोर्चा सरकार के साथ साथ केरल एल डी एफ भी एक और किला है. मजदूर वर्ग व जनता अधिनायकवादी पार्टी के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े होने व एकजुट होने के लिए हर कोशिश करे. इस एकता को शक्ल देने व अधिनायकवाद के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करने में ट्रेड यूनियन आन्दोलन और इसकी एकता की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में वे असफल नहीं होने चाहिएं. □

कोयला मजदूरों का मांग सप्ताह

कोयला श्रमिक संघ (सीटू) ने मध्य प्रदेश के कोयला मजदूरों की 13-सूत्री मांगों पर 13 मई से 20 मई तक एक मांग-सप्ताह मनाने का फैसला किया है. इसने 20 तारीख को प्रदर्शन व जुलूस आयोजित करने तथा आॅल इण्डिया कोल वर्कर्स फेडरेशन की 36-सूत्री मांगों पर पर्चे वितरित करने का भी फैसला किया. □

चुनावों में सीटू के विजयी नेता

पश्चिम बंगाल व केरल में 19 मई को सम्पन्न विधान सभा चुनावों में सीटू के निम्नलिखित पदाधिकारी, वर्किंग कमेटी सदस्य व जनरल काउंसिल सदस्य विजयी हुए हैं :

पश्चिम बंगाल

ज्योति बसु, उपाध्यक्ष; कमल सरकार, सचिव; कृष्णपद घोष, रबिन मुखर्जी, शांति घटक, जामिनी साहा, राधिका बनर्जी, बामापद मुखर्जी, परिमल मित्रा, प्रबीर सेन व विजय पाल (वर्किंग कमेटी सदस्य) और निरंजन मुखर्जी, खीति बर्मन, जगदीश दास, अजीत बोस, गोपाल भट्टाचार्जी, सीताराम गुप्ता, नानी कार, दिलीप मजूमदार, हाराधन राम, बिकाश चौधुरी, लक्ष्मण बागड़ी, अजीत चक्रवर्ती, प्रोलय तालुकदार, बिरेन बोस, हरका बहादुर राए, पुनई ओरांओं, मोहन लाल ओरांओं, सैलेन चटर्जी, शांताश्री चटर्जी व सुभाष बोस (जनरल काउंसिल सदस्य).

केरल

ओ. भरथन व एम. जीनादेवन (वर्किंग कमेटी सदस्य) और के. मूसाकुट्टी व पी. कुन्हीकुन्नन (जनरल काउंसिल सदस्य). □

इंशोरेंस कर्मचारियों का सम्मेलन

कटक डिविजन इंशोरेंस एम्प्लाईज एसोसिएशन व उड़िसा स्टेट जनरल इंशोरेंस एम्प्लाईज एसोसिएशन ने सांबलपुर वर्कर्स एण्ड एम्प्लाईज कोआर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलकर 24 अप्रैल को सांबलपुर (उड़ीसा) में एक रीजनल ट्रेड यूनियन सम्मेलन आयोजित किया. सम्मेलन ने एल.आई.सी. कर्मचारियों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की बहाली और एल.आई.सी. (संशोधन) कानून की वापसी की मांग की. इसने एस्मा व एन.एस.ए. की वापसी की भी मांग की. □

सीटू का नवीनतम प्रकाशन

हड़ताल के अधिकार की रक्षा करो

(हिन्दी व अंग्रेजी में)

पी. राममूर्ति, एम.पी.,
महासचिव, सीटू

संसद के पिछले बजट अधिवेशन में हड़ताल के अधिकार को छीनने के लिए पेश किए गए विधेयकों की समीक्षा

(प्रेस में)

अनुमानित कीमत : एक रुपया

लिखें : **सीटू केंद्रीय कार्यालय**
6, तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली-100 001
व
नेशनल बुक एजेंसी प्रा० लि०
12, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता-700 012

सार्वजनिक क्षेत्र में ट्रेड यूनियनें और वेतन समझौता-वार्ताएं

केंद्रीय वित मंत्री प्रनब मुखर्जी ने 4 मई को राज्य सभा में अपने बयान में यह स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में वेतन समझौतों के सवाल को उन संस्थानों के प्रबन्धकों या सामूहिक सौदेबाजी पर नहीं छोड़ा जा सकता. सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में सभी ट्रेड यूनियनों की यह स्पष्ट चेतावनी है कि उन्हें आगामी समझौतावार्ताओं में सख्ती से सौदेबाजी करनी होगी और यदि नीचे से शक्तिशाली दबाव नहीं डाला गया तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार का निर्देश सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में वेतनजाम का नया हमला होगा.

सरकार का निर्देश ऐसे समय आया है जब पिछले 2 दशकों में भारतीय मजदूरों के वास्तविक वेतन काफी कम हो गए हैं. अधिकृत आंकड़े केवल 1976 तक ही उपलब्ध हैं लेकिन नीचे दिए गए आंकड़े भंडा-फोड़ करते हैं.

मजदूरों की वास्तविक आय का सूचकांक
(आधार 1961-100)

वर्ष	वास्तविक आय का सूचकांक	वर्ष	वास्तविक आय का सूचकांक
1967	91	1972	103
1968	94	1973	92
1969	101	1974	71
1970	101	1975	67
1971	101	1976	75 (अनुमानित)

लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा संकलित

पिछले पांच सालों में यह तस्वीर और भी निराशाजनक हो गई गई है जिसके कारण मजदूरों के जीवनयापन के वास्तविक स्तर में काफी गिरावट आई है.

सार्वजनिक संस्थानों के ब्यूरो (बी पी ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के सार्वजनिक संस्थानों में 18.38 लाख मजदूर काम कर रहे हैं. इसमें लगाई जाने वाली पूँजी से पता चलता है कि पिछले छः सालों में यह बढ़ रही है, 1975-76 में यह 2,083 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 1980-81 में 4,385 करोड़ रुपये हो गई, इसका अर्थ है 110 प्रतिशत से भी ज्यादा की वृद्धि. लेकिन उत्पादन पर कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में वेतन खर्च 1979-80 में 13.06 प्रतिशत से कम हो कर 1980-81 में 12.15 प्रतिशत हो गया. पिछले साल भी वेतन खर्च 1.38 प्रतिशत कम हुआ है. सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक आय में गिरावट और भी चकाचौंध करने वाली है. अकेले इस्पात उद्योग में सबसे कम वेतन पाने वाले अकुशल मजदूर के जीवन के वास्तविक स्तर में गिरावट का अनुमान लगभग 12 प्रतिशत है. अधिक कुशलता वाले मजदूरों के जीवनयापन के स्तरों में और भी अधिक गिरावट आई है. यह इसलिए होता है क्योंकि मंहगाई की भरपाई की दर कीमतों में वास्तविक वृद्धि से बहुत कम है. इस्पात उद्योग में न्यूनतम स्तर पर यह केवल 84 प्रतिशत ही बनता है. मंहगाई भत्ते को रु. 1.30 प्रति बिंदु पर रोक देने का लक्ष्य इस प्रकार सफल रहा है.

कुशल व अतिकुशल मजदूरों को भी मंहगाई भत्ते की वही निर्धारित दर दी जाती है और उच्चतर स्तरों पर भरपाई की दर 50 प्रतिशत से भी कम है. ट्रेड यूनियन आन्दोलन को प्रबंधकों द्वारा हर महीने भत्ते की इस जेबतराशी के ऊपर गम्भीरता से विचार करना होगा.

सबसे कम स्तर पर पूरी भरपाई देने का सरकार का आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में मजदूरों के जीवनयापन के वास्तविक स्तरों में क्रमबद्ध गिरावट की मशीनरी खुद ब खुद बन गई है.

वेतन वृद्धि को उत्पादकता के साथ जोड़ने के बी. पी. ई. के नए निर्देश मजदूरों की वास्तविक आय में और भी गिरावट लाएंगे. इस सम्बन्ध में बी. पी ई के निर्देशों को इस प्रकार सारांश में लिखा जा सकता है.

1. उत्पादकता के मौजूदा स्तर पर कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी. सभी आगामी वेतन वृद्धियां उत्पादकता में वृद्धि के समान होंगी.

2. भविष्य में कोई भी समझौता किसी पिछली तारीख से लागू नहीं होगा. इसलिए सभी समझौते उसी दिन से लागू होंगे जिस दिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

3. समझौतों का प्रभावी समय 4 साल होगा.

4. समझौते के परिणामस्वरूप वेतन बिल में (मामूली सुविधाओं को मिलाकर) 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती.

5. मंहगाई भत्ते की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) में रु 1.30 प्रति बिन्दु वृद्धि से ज्यादा नहीं होगी.

प्रस्ताव का कुल परिणाम यह है कि मजदूरों को मालिकान से थोड़ा सा हिस्सा लेने के लिए अधिक मुनाफा पैदा करना होगा. उन्हें प्रबन्धकों की अक्षमता जो आमतौर पर उत्पादन को कम रखते हैं, से भी पीड़ित होने के लिए तैयार रहना

होगा. यदि प्लांट का विद्युत, कोयला व कच्चे माल की सप्लाई नहीं होती है तो उन्हें इसकी शिकायत भी नहीं करनी चाहिए और इन कमियों के कारण यदि उत्पादन कम होता है तो उन्हें कम आमदनी भी स्वीकार करनी चाहिए. उनको उन पर थोपे गए ज्यादा से ज्यादा कार्यभार को पूरा करना होगा क्योंकि केवल यही उनको अतिरिक्त पारिश्रमिक देगा. ये निर्देश इतने खतरनाक हैं कि सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने इनका विरोध किया है और इंटक नेतृत्व इसे खुलेआम स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रहा है.

साथ ही इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में, हालांकि वे छोटे हैं, नेतृत्व ने इस विनाशी अवधारणा को स्वीकार कर लिया है और वेतन वृद्धि को उत्पादकता के साथ जोड़ते हुए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. अधिकृत समाचारों के अनुसार नेपानगर न्यूजप्रिंट फैक्टरी, कोचीन शिपयार्ड में ऐसे समझौते हुए हैं. जहां कहीं भी ट्रेड यूनियन आन्दोलन कमजोर है वहां मालिकान ने मजदूरों पर ऐसे समझौते थोपे हैं जिनसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों को भारी नुक्सान पहुंचा है.

सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ संस्थानों में ट्रेड यूनियनों के कड़े विरोध के कारण प्रबन्धकों को बी. पी. ई. के निर्देशों को लागू करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा और उन्होंने कम से कम उनके संस्थानों के लिए इन निर्देशों को वापस लेने के लिए तर्क करना शुरू किया. लेकिन सरकार वेतनजाम करने पर कटिबद्ध है और इन निर्देशों को लागू करने के लिए बहुत जोर दे रही है.

वेतनजाम द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने पर विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बढ़ते दबाव, बड़े व्यापारी घरानों, भारतीय व विदेशी दोनों, की जरूरतों के सामने झुकने की सरकारी नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्थिति को और भी गम्भीर बना रही हैं. सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन समझौतावार्ताओं में बी. पी. ई. के पर्दे के पीछे काम अब और भी जोरदार हो गए हैं.

क्योंकि जल्दी ही पिछले वेतन समझौते कुछ सार्वजनिक संस्थानों में खत्म होने वाले हैं और वहां वेतन समझौतावार्ताएं शुरू होनी हैं इसलिए वेतन नीति के विरोध के सवाल को और महत्ता मिलती है.

सार्वजनिक क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों को यह ध्यान में रखना होगा कि आगामी समझौतावार्ताएं बहुत ही कठिन होंगी क्योंकि उत्पादकता के मौजूदा स्तर पर वेतन वृद्धि प्राप्त करने की किसी भी कोशिश को धराशायी करने के लिए सरकार पूरा जोर लगाएगी. सरकार और इसके प्रवक्ता, बी. पी. ई., के निर्देशों को शिकस्त देने के लिए जोरदार कार्यवाही के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूर वर्ग की सम्पूर्ण एकता की जरूरत पर यह प्रकाश डालती है. जहां अधिकारी ज्यादा अड़ियल हो रहे हैं वहां मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के दृढ संकल्प भी मजदूर वर्ग में बढ़ रहा है. इस्पात, कोयला भेल आदि जैसे प्रमुख उद्योगों में सरकार के हमलों का प्रतिरोध करने के लिए मजदूर वर्ग पहले ही तैयारियां कर रहा है. इन उद्योगों में रोजाना के आन्दोलनों में सरकारी नीतियों की आम निंदा साफ दिखाई देती है. यहां तक कि बिरला के अखबार 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तक ने ब्यूरो के नवीनतम निर्देशों के औचित्य पर सवाल उठाया है.

अखबार का संपादकीय कहता है कि "यह संदेहपूर्ण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाए कि वे अपनी वेतनवृद्धि को छोड़ दें जबकि उन्हें यह पता है कि ऐसे अन्य बाधक कारण भी हैं जिन पर उनका नियंत्रण नहीं है. ब्यूरो के निर्देशों का शिष्टाचार के साथ पालन करने पर यदि सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटें जोर देती हैं तो औद्योगिक विवादों का पैदा होना लाजिमी है." (27 मार्च 1982).

बम्बई के फ्री प्रैस जरनल ने भी अपने सम्पादकीय में लिखा है कि उत्पादकता के साथ वेतन जोड़ने की बात न करके उद्योग सही काम करेगा. (31 मार्च 1982). इसने यह भी बताया है कि वेतन व आय नीति पर कोई समझौता नहीं हुआ है. फिर भी बी. पी. ई. इस खतरनाक नीति की बीन बजा रहा है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में प्रबन्धकों व मजदूरों में टकराव पैदा हो रहा है.

इसलिए ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने सरकार की वेतन जाम की नीति को शिकस्त देने के लिए सार्वजनिक उद्योग में समूचे मजदूर वर्ग को लामबन्द करने का फैसला किया है. इसने इस्पात, कोयला तथा भेल संस्थानों में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के सम्मेलनों की योजना बनाई है ताकि संस्थानों में मजदूरों के एकजुट आन्दोलन अन्य यूनिटों में समझौतों पर असर डालें और इसलिए उनमें आन्दोलनों को प्राथमिकता दी जा रही है. बैंकों में समझौतावार्ताएं काफी पहले शुरू हो जानी चाहिएं थी. एल आई सी में वेतन संशोधन को धराशायी करने की कोशिशें की जा रही हैं. कई अन्य संस्थानों में समझौतावार्ताएं प्रबन्धकों के अड़ियल रवैये के कारण रुक गई हैं. एच एस सी एल में प्रबन्धकों ने अंतरिम राहत की अदायगी के बाद अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देना बंद कर दिया है. यह एक अभूतपूर्व कदम है.

अखिल भारतीय भेल मजदूर सम्मेलन 21 व 22 जून को भोपाल में होगा और अखिल भारतीय इस्पात मजदूर सम्मेलन 26-27 जून को जमशेदपुर में होगा. अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों

(शेष पृष्ठ पंद्रह पर)

केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के एकजुट संघर्ष के लिए कोशिशें

केंद्रीय सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को प्राप्त करने के लिए एस. के. व्यास (कनफेडरेशन आफ सी. जी. एंप्लाईज), बी. एल. शर्मा (नेशनल कनफेडरेशन ग्राफ गवर्नमैंट एंप्लाईज, स्टेट एन्ड सेंट्रल), श्री कृष्ण (ग्राई ग्रार डब्लू. एफ), एन. एस. भंगू (रेलवे एंप्लाईज कनफेडरेशन), एस. के. धर (लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन), के. एल. पथेला (पी एन्ड टी एम्प्लाईज फेडरेशन), एन. जे. ग्रय्यर (ग्रार एम एस एन्ड एम एम एस एम्प्लाईज यूनियन क्लास III), के. ग्रादिनारायण (पोस्टल एम्प्लाईज यूनियन-पोस्टमैन क्लास-IV) के. एल. मोजा (पोस्टल एम्प्लाईज यूनियन-क्लास-III), सी एल ग्रनेजा (ग्रार्म्ड फोर्सेस हैडक्वार्टर्स एसोसिएशन), सरदारी लाल शर्मा (केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारी संघ), सी एस. वी. वारियर (एन जी ग्राडिट एन्ड ग्रकाउंट्स एसोसिएशन), के. के. एन कुट्टी (इंकम टैक्स एम्प्लाईज फेडरेशन), दिपेन घोष (नेशनल फेडरेशन ग्राफ प्रिंटिंग, स्टेशनरी एन्ड पब्लिकेशन एम्प्लाईज) व ग्रन्यों ने फिर से एकता स्थापित करने के लिए जोरदार ग्रपील की है.

पंद्रहवें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित शर्तों के ग्रनुसार जरूरत के ग्राधार पर न्यूनतम वेतन को लागू करने की मांग को लेकर जुलाई 1960 में की गई केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की गौरवमयी हड़ताल को याद करते हुए जिसे सरकार द्वारा बर्बरता के साथ दबा दिया गया था, ग्रपील में कहा गया है कि ग्रान्दोलन के नेतृत्व ने पहले 1967 में मंहगाई भत्ते को सीमित करना स्वीकार किया था. हालांकि सितम्बर 1968 में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल द्वारा 1968 में एकजुट संघर्ष की एक ग्रौर कोशिश की गई लेकिन कुछ विभागीय ग्राथिक लाभों के लालच में ग्रान्दोलन धीरे-धीरे ढुलमुल हो गया. विलम्बित वेतन के सिद्धांत पर 'सभी के लिए बोनस' की मांग को जोरदार ढंग से बुलंद करने की बजाए, केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के एक हिस्से ने रेलवे डाकतार, ग्रार्डनेंस फैक्टरी ग्रादि जैसे ग्रौद्योगिक मजदूरों के लिए बोनस की मांग की ग्रौर अंततः उत्पादकता से जुड़े बोनस को स्वीकार किया तथा इस प्रकार ग्राम संघर्ष को कमजोर किया व देश के समूचे मजदूर वर्ग ग्रान्दोलन का ग्रपमान किया. मंहगाई भत्ते के बकाया तथा मंहगाई भत्ते को वेतन में मिलाने से उत्पन्न राशि को रोकना स्वीकार करने की ग्रालोचना करते हुए ग्रपील में कहा गया है कि यह एक खतरनाक उदाहरण बन गई है ग्रौर इसके कारण कभी भी सरकार कीमतों में वृद्धि की पूरी भरपाई देने के लिए मंहगाई भत्ते में वृद्धि को रुपयों में देने से इंकार कर सकती हैं. इसलिए इस सम्बन्ध में पक्का वायदा करने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए कोशिशों की जरूरत है.

ग्रपील में कहा गया है कि वेतन संशोधन तभी हो जाना चाहिए था जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 272 बिन्दुग्रों से ग्रधिक हो गया था. ग्रब समझौते का एक भाग प्रमुख ग्राथिक मांगों पर एक साल के लिए निलंबन ग्रादेश देता है. यह याद करते हुए कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कभी सर्वोत्तम वेतन वाले मजदूर होते थे ग्रौर जो ग्रब संगठित मजदूरों में सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हो गए हैं, ग्रपील में इस तथ्य को नोट किया गया है कि इन हालात की जड़ है सभी तरह के दमनों का बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए दृढ़ एकजुट संघर्ष को जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को संगठित करने में नाकामयाबी. ग्रात्मालोचनात्मक तरीके से इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के ग्रान्दोलन का समूचा नेतृत्व 19 जनवरी को संघर्ष की मुख्य-धारा में शामिल होने में उनकी ग्रयोग्यता के लिए जिम्मेदार है, ग्रपील में कहा गया है कि कर्मचारियों को दोष देना गलत होगा क्योंकि नेतृत्व ने ही उन्हें संघर्ष के लिए तैयार नहीं किया. ग्रंत में ग्रपील में एकता स्थापित करने के लिए जोरदार तर्क दिया गया ग्रौर एकजुट संघर्ष के निर्माण के लिए तरीके व रास्ते पता लगाने के लिए 15 मई को एक बैठक ग्रायोजित करने ग्राह्वान किया गया.

जे. सी. एम. की बैठकें

ज्वाइंट कन्सलटेटिव मशीनरी (जे सी एम) की नेशनल काउंसिल की बैठक पिछले डेढ साल में नहीं हुई है हालांकि इसकी बैठक 4 महीनों में एक बार होनी चाहिए. सरकार ने 13 व 14 मई को एक बैठक बुलाई जिसमें ग्रप्रैल 1982 से उत्पन्न मंहगाई भत्ते की एक ग्रौर किश्त जल्दी ही देने को स्वीकारा गया. सरकारी पक्ष स्थिरता सुविधा व 15 साल की सेवा के बाद पदोन्नत्ति के सवाल पर विचार करने ग्रौर क्रमशः जुलाई व दिसम्बर 1982 में ग्रपना फैसला देने या इस पर ग्रपनी ग्रसहमति व्यक्त करने के लिए भी सहमत हुग्रा.

एकता के लिए कोशिशें जारी रहेंगी

15 मई को संपन्न बैठक में न केवल उन संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिन्होंने इस बैठक को ग्रायोजित किया था बल्कि ग्रो. पी. गुप्ता (एन एफ पी टी ई) तथा के. एन. मैथ्यू (डिफैंस एम्प्लाईज फेडरेशन) ने भी इसमें हिस्सा लिया. केवल ए ग्राई ग्रार एफ का नेतृत्व गैर हाजिर था. एक सात सदस्यीय ग्रध्यक्ष मंडल ने बैठक की कायवाही चलाई. स्पष्ट व मुक्त बहस के बाद, बैठक ने फैसला लिया कि ग्रब के

(शेष पृष्ठ पंद्रह पर)

प्राध्यापकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

सोलह हजार विश्वविद्यालय प्राध्यापक 12 अप्रैल से अनिश्चित-कालीन हड़ताल पर चले गए. बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी टीचर्स फेडरेशन व बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी (सर्विसिज) टीचर्स फेडरेशन ने संयुक्त रूप से अपने 31-सूत्री मांग-पत्र के समर्थन में इसका आह्वान किया था. उनकी मांगें हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा वेतन में संशोधन किए जाने तक यू.जी.सी. की सिफारिशों के अनुसार अन्तरिम राहत देना, मंहगाई की पूरी भरपाई, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधा, अस्थायी प्राध्यापकों को स्थायी करना, कृषि विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. अनुदान, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, आदि. हड़ताल में राज्य के 303 डिग्री कालेजों व छ: विश्वविद्यालयों के पोस्ट-ग्रेजुएट विभागों के सभी प्राध्यापक शामिल हैं.

हड़ताली प्राध्यापकों ने 22 से 29 अप्रैल तक गिरफ्तारियां दी. सरकार द्वारा बातचीत के लिए आश्वासन दिया जाने के बाद 30 अप्रैल से गिरफ्तारियां देने के दूसरे चरण के कार्यक्रम को उन्होंने रद्द कर दिया. लेकिन उद्योग मन्त्री के साथ केवल दो बैठकों के बाद ही मुख्य मन्त्री ने घोषणा की कि सरकार ने प्राध्यापकों के साथ बातचीत करने के लिए किसी को भी अधिकृत नहीं किया हैं. उद्योग मन्त्री के साथ दो बैठकें केवल अनौपचारिक थीं और सरकार वित्त-सम्बन्धी किसी भी मांग को नहीं मानेगी. परिणामस्वरूप हड़ताली प्राध्यापकों ने 5 मई से 'जेल भरो' कार्यक्रम फिर से शुरु कर दिया. 6 मई तक 856 प्राध्यापकों को जेल भेजा गया. ध्यान रहे कि यू.जी.सी. की सिफारिशों के अनुसार प्राध्यापकों के वेतनमान हर पांच साल में संशोधित किए जाने चाहिएं. लेकिन 1973 के बाद इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया.

विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के संघर्ष को विशेष महत्ता इसलिए भी मिली है कि 90 प्रतिशत से भी ज्यादा कालेजों के प्राचार्य व विश्वविद्यालयों के पोस्ट ग्रेजुएट विभागों के विभागाध्यक्ष हड़ताल में शामिल हो गए है. उन्होंने संघर्ष समिति के परीक्षा व निरीक्षण कार्य में भाग न लेने के फैसले का समर्थन किया है. हालांकि सरकार कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं पुलिस व होमगार्डों की मदद से कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अन्य जगहों पर परीक्षाएं अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई हैं. प्राध्यापकों ने उन केन्द्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच न करने का भी फैसला लिया है जहां उनकी भागीदारी के बिना परीक्षाएं कराई गई हैं. आॅल इन्डिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गेनाइजेशन की नेशनल काउंसिल ने फैसला किया है कि देश का कोई भी विश्वविद्यालय प्राध्यापक हड़ताल के दौरान हुई परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच नहीं करेगा.

हड़ताल को सभी तबकों से पूरा समर्थन मिला है. प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापकों व सरकारी कर्मचारियों ने निरीक्षक बनने से इन्कार कर दिया है. छात्रों व युवकों के संगठनों ने अपनी एकजुटता प्रकट की है. केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों के सभी हिस्सों का हड़ताली प्राध्यापकों के साथ एकजुट होने का आह्वान किया है.

कांग्रेस(आई) सरकार के मजदूरों के संघर्षों के प्रति अधिनायकवादी दृष्टिकोण के कारण इसके इस्तीफे की चहुमुखी मांग की पृष्ठभूमि में हड़ताल जारी है. शासक कांग्रेस(आई) से सम्बद्ध अध्यापक भी हड़ताल में शामिल हैं. दो बार पहले यानि अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान व 19 जनवरी की हड़ताल के दौरान सरकार ने देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे, लेकिन इसे मजदूरों के पक्के इरादे व जुझारूपन के सामने अपना मुंह लटकाना पड़ा. इस बार विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की एकजुट ताकत ने सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है. □

अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विद्युत मजदूरों का नोटिस

पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के मजदूरों ने, जो सीटू के तहत संगठित हैं 13 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. इस सम्बन्ध में बिहार राज्य विद्युत परिषद् फील्ड कामगार यूनियन (सीटू) ने सरकार व प्रबन्धकों को एक नोटिस दिया है. नोटिस ने सरकार को यह स्पष्ट अन्तिम चेतावनी दी है कि यदि 18-सूत्री मांग-पत्र पर 12 मई तक बातचीत शुरु नहीं की गई तो हड़ताल की जाएगी. लम्बे अर्से से चली आ रही मांगों में सरकार द्वारा विद्युत सप्लाई के अधिग्रहण के समय से बकाया राशि की अदायगी, लम्बे अर्से से पड़े रिक्त-पदों की पूर्ति, ओवर-टाइम अदायगी, चिकित्सा भत्ता, ठेका प्रणाली का खात्मा, आदि की मांगें शामिल हैं. □

कोयला मजदूरों की मांगें

कोलियरी मजदूर सभा आफ इण्डिया (सीटू) के स्थानीय

सचिव राजेन्द्र सिंह चंदेल ने 29 अप्रैल को जारी किए गए एक बयान में बरकाना कोलियरी मजदूरों के लिए एक नई वेतन बोर्ड कमेटी बनाने की मांग की है. उन्होंने सी.सी.एल. के तहत ठेका मजदूरों व ट्रकों में माल लादने वाले मजदूरों को नौकरियों को स्थायी करने की भी मांग की है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि ई.सी.एल. मजदूर अपनी मांगों के समर्थन में 3 व 4 मई को हड़ताल करेंगे. हर प्रोजेक्ट दफ्तर के सामने एक मई को और जनरल मैनेजर, बरकाना, के सामने 3 मई को प्रदर्शन किए जाएंगे. □

ई.एस.आई. कर्मचारियों का प्रदर्शन

इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) के 300 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने 15 अप्रैल को जमशेदपुर में ई.एस.आई.सी. के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया. ई.एस.आई. प्रशासन में भ्रष्टाचार व नौकरशाही के प्रतिरोध में मैनेजर को एक ज्ञापन दिया गया. इसने मजदूरों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग की. □

बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियों के खिलाफ सम्मेलन

बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियों के खिलाफ बी एस एस आर यूनियन ने धनबाद में 18 अप्रैल को एक जनवादी सम्मेलन आयोजित किया. यूनियन की कार्यकारिणी समिति के सदस्य यू. एस. चंदा ने सम्मेलन की अध्यक्षता की. सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष डा. पी. के. दत्ता ने भारतीय जनता का शोषण करने के लिए बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों को खुली छूट देने की भारत सरकार की नीति की कड़ी आलोचना की. उन्होंने विभिन्न तबकों का सरकार की नीतियों में परिवर्तन के लिए तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए आह्वान किया. फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंज आफ इंडिया के महासचिव जे. एस. मजूमदार ने बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों की मजदूरों के श्रम के फलों को हड़पने के लिए कार्यनीति की विस्तार से चर्चा की. अनेक बिरादराना प्रतिनिधियों ने सम्मेलन को संबोधित किया. मुख्य प्रस्ताव में हाथी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई. □

माइंज व क्वरीज वर्कर्ज यूनियन का सालाना सम्मेलन

संथल परगनाज डिस्ट्रिक्ट माइंज व क्वरीज वर्कर्ज यूनियन का तीसरा सालाना सम्मेलन पाकूर में 30 अप्रैल व एक मई को संपन्न हुआ. यूनियन के महासचिव के. के. मंडल ने मजदूरों के लिए जरूरत के आधार पर न्यूनतम वेतन पर जोर दिया. मई दिवस को ध्यान में रखते हुए एक मई को एक विशाल रैली आयोजित की गई जिसमें मजदूरों के विभिन्न अन्य तबकों ने भाग लिया. रैली को संबोधित करते हुए सीटू की बिहार राज्य कमेटी के महासचिव चंडी प्रसाद ने मजदूरों को अमरीका द्वारा पैदा किए गए न्यूक्लीयर युद्ध के खतरे के खिलाफ चेतावनी दी और उनका आह्वान किया कि वे शांति के लिए इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें. उन्होंने मजदूरों का सरकार की तरफ से बढ़ते अधिनायकवाद के खिलाफ और जनवादी व ट्रेड यूनियन अधिकारों की स्थापना के लिए संघर्ष शुरू करने का आह्वान किया. इससे पहले अब्दुल हकीम व के.के. मंडल यूनियन के अध्यक्ष व महासचिव चुने गए. □

राजस्थान समाचार

विद्युत मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

राजस्थान सरकार द्वारा एस्मा लागू करने और हड़ताल के आह्वान को गैरकानूनी घोषित करने के बावजूद, समूचे राज्य के 65 हजार विद्युत मजदूर 'विद्युत उत्पत्ति नहीं', 'संचारण नहीं', 'वितरण नहीं', 'रख-रखाव (मरम्मत) नहीं', 'दफ्तर कार्य नहीं' नारों के तहत 19 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. हड़ताल का आह्वान सीटू, एटक, एच एम एस, बी एम एस, व इंटक (मौर्य) की एक संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 7-सूत्री मांग पत्र पर समझौते की मांग करते हुए किया गया था. सीटू के महासचिव पी राममूर्ति ने 20 मई को जारी किए गए एक प्रैस वक्तव्य में एस्मा के तहत हड़ताल पर रोक लगाने की राजस्थान सरकार की निंदा की है. उन्होंने कहा है कि राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के सभी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त संघर्ष समिति एक लंबे समय से 7-सूत्री मांग पत्र पर बातचीत द्वारा समझौते की मांग कर रही थी. हालांकि अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस 15 अप्रैल को दिया गया था, फिर भी न तो सरकार ने और न ही विद्युत बोर्ड ने समझौता करने के लिए कोई कोशिशें की. इसके विपरीत इसने हड़ताल शुरू होने के कुछ ही घंटों पहले एस्मा लागू करके हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया. कांग्रेस

(शेष पृष्ठ पंद्रह पर)

ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीनने की नृशंस योजना

लोकसभा में इसका सत्र खत्म होने के ठीक पहले 30 अप्रैल को ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक 1982 और राज्य सभा में इसका सत्र खत्म होने के ठीक पहले 6 मई को अस्पताल व अन्य संस्थान (विवादों का समाधान) विधेयक 1982 पेश किए जाने से मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियन अधिकारों को, जिन्हें पिछले आठ दशकों में अनेक साथियों के त्याग से अर्जित किया गया था, छीनने की नृशंस योजना जनता के सामने बेनकाब हुई है.

शासक वर्ग ने यह सबक सीखा है कि एक अकेले विधेयक में सभी मजदूर वर्ग विरोधी प्रावधानों को शामिल करना इसके खिलाफ कुदरतन ही समूचे मजदूर वर्ग को चाहे उनकी राज-नीतिक संबद्धता कुछ भी क्यों न हो लामबंद करेगा जैसा कि 1978 में जनता निजाम में किया गया था. इस लिए योजना है कि इन प्रावधानों को थोड़ा थोड़ा करके लागू किया जाए. पहले एस्मा को एक अध्यादेश के रूप में 12 उद्योगों में हड़तालों पर रोक लगाते हुए संसद का अधिवेशन शुरू होने के कुछ ही दिन पहले लागू किया गया. मजदूर वर्ग ने 17 अगस्त, 1981 को प्रतिरोध किया और उसके बाद यह प्रतिरोध पिछले साल 23 नवंबर को संसद पर मजदूरों के विशाल प्रदर्शन में व्यक्त हुआ और फिर 19 जनवरी को एक दिन की आम औद्योगिक हड़ताल हुई. मजदूर वर्ग के गुस्से से भरे असंतोष के साथ साथ विपक्षी दलों ने संसद में विधेयक की हर धारा का विरोध करके इतिहास लिख दिया तथा बहस अगले दिन सवेरे 5 बजे तक चली.

कोई भी बुद्धिमान सरकार आगे कोई कदम उठाने से पहले रुक जाती. लेकिन श्रीमती गांधी की सरकार ने ऐसा नहीं किया. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक से प्राप्त कर्जों की शर्मनाक शर्तों को स्वीकार करके इसे अमरीकी कर्जदाताओं के समक्ष अपनी सत्यता सिद्ध करनी थी. इसलिए ये विधेयक पेश किए गए और अगर ये पास हो गए तो ये देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन को नपुंसक बना देंगे और मजदूर वर्ग को बंधुआ मजदूरों से भी बदतर बना देंगे.

जब एक लघु-आम चुनावों की घोषणा की गई थी और जनता का ध्यान अधिनायकवाद की ताकतों के खिलाफ राज-नीतिक संग्राम की तरफ आकृष्ट हुआ, तब सरकार ने पहले औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 23 अप्रैल को पेश किया (मई 1982 अंक देखें). और फिर 30 अप्रैल को लोक सभा के तत्कालीन सत्र के अंतिम दिन सरकार ने ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक पेश किया जिसका मुख्य जोर उन यूनियनों के पंजीकरण रद्द कर देने पर है जो गैरकानूनी (इसे-जुझारू पढ़ें) संघर्ष करते हैं. उन सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिन्हें तथाकथित अनुचित श्रम व्यवहार जिसमें शांतिपूर्वक पिकेटिंग भी शामिल है के लिए औद्योगिक विवाद कानून के तहत सजा मिली है, यूनियन के पदाधिकारी बनने पर रोक लगाने का प्रावधान भी दिया गया है. अंतः यूनियन व अंतर्यूनियन होड़ को ट्रेड यूनियन विवाद का नाम देकर यूनियन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार को असीमित शक्तियां देने की कोशिश की जा रही है. इस विधेयक से मालिकान को ऐसे पर्याप्त मौके मिलेंगे जिनसे वे कुछेक लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं और हर यूनियन में केवल अपना पिट्ठू नेतृत्व थोपने के लिए एक ट्रेड यूनियन विवाद शुरू कर सकते हैं. विधेयक की नीयत नई यूनियनों के बनने को बहुत ही कठिन करना है. ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें प्रबंधकों ने सात प्रार्थियों के साथ यूनियनों के निर्माण की कोशिशों को उन्हें उत्पीड़ित करके रोक दिया है. इस संख्या को बढ़ा कर 10 प्रतिशत या 100 करने का, इनमें से जो भी कम हो, अर्थ है और रुकावटें डालना तथा मजदूरों को खुलेआम उत्पीड़ित करना. फिर उसके बाद बाहरी व्यक्तियों की संख्या 50 से घटा कर 25 प्रतिशत की जा रही है तथा हर उत्पीड़ित कामगार एक बाहरी व्यक्ति माना जाएगा. ये विधेयक के कुछेक मजदूर वर्ग विरोधी प्रावधान हैं.

राज्य सभा सत्र के समापन के अंतिम दिन छः मई को सरकार ने अस्पताल व अन्य संस्थान (विवादों का समाधान) विधेयक पेश किया. विधेयक की प्रत्यक्ष नीयत उन संस्थानों के मजदूरों के लिए औद्योगिक विवादों का समाधान करने के लिए मशीनरी तैयार करना है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से बाहर लाने के लिए औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक के तहत उद्योग की परिभाषा से निकाल दिया गया हैं. डाक्टरों, नर्सों, फार्मेसिस्टों, अध्यापकों, गैर-अध्यापन कर्मचारियों आदि को हड़ताल के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है और छः महीनों की जेल की सजा या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा जा रहा है. इस कानून के तहत भारी तादात में छंटनी तक को भी व्यक्तिगत विवाद में बदल दिया जाएगा. मशीनरी इतनी एकनिष्ठ या पिट्ठू है कि मालिकान के आदमी समितियों या मध्यस्ताओं के अध्यक्ष होंगे जो कर्मचारियों को न्याय दिलाने में अपनी नौकरियों को खतरे में नहीं डालेंगे.

भारत का मजदूर वर्ग जिसके पास संघर्ष व त्याग की गौरवमयी विरासत है और जिन्होंने अपने सभी मतभेदों को नजरअंदाज करते हुए अपनी आवाज बुलन्द करने की विशाल क्षमता प्रदर्शित की है, एकजुट होकर इन प्रावधानों को गंदे कागजों के टुकड़ों के रूप में इतिहास के कूड़ेदान में फेंक कर इसका करारा जवाब अवश्य ही देगा. □

समूचे देश में मई दिवस समारोह मनाया गया

देश में अधिनायकवाद के बढ़ते खतरे और अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा न्यूक्लीयर युद्ध की तैयारी करने से उत्पन्न शांति व समाजवादी खेमे को खतरे की पृष्ठभूमि में समूचे देश में मजदूर-वर्ग ने जोरदार ढंग से मई-दिवस मनाया. देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूरों के विभिन्न हिस्सों द्वारा चलाए जा रहे गौरवमयी संघर्षों के बीच और उन्हें जारी रखते हुए यह दिवस मनाया गया. मई-दिवस समारोह की संक्षिप्त खबरें हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं :

दिल्ली: सीटू के केन्द्रीय कार्यालय में सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति ने सवेरे लाल झंडा फहराया. उनके भाषण के बाद सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे ने सभा को सम्बोधित किया.

शाम को सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी द्वारा हजारों मज़दूरों का एक भारी जुलूस निकाला गया जो फिरोजशाह कोटला मैदान में जाकर एक रैली में बदल गया. अन्यों के अलावा रैली को बी.टी. रणदिवे ने सम्बोधित किया. मज़दूरों के विभिन्न तबकों ने अनेक जुलूस, बैठकें व रैलियां आयोजित कीं. इस साल दिल्ली यूनियन ऑफ जरनलिस्टस ने एक सभा आयोजित करके मई-दिवस मनाया और केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को आमन्त्रित किया. सीटू की ओर से इसके सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने बैठक को सम्बोधित किया.

सीटू को ऑल यूनियन सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंज, सोवियव संघ; ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंज, चीन; और वियतनाम फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंज से मई-दिवस पर शुभकामना संदेश प्राप्त हुए हैं.

पश्चिम बंगाल : वाम मोर्चा सरकार ने मई-दिवस के दिन छुट्टी की घोषणा की. सीटू की राज्य कमेटी के आंगन में सीटू सचिव कमल सरकार व सीटू उपाध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल ने एक सभा को सम्बोधित किया. समूचे राज्य में अनेक स्थानों पर रैलियां व जुलूस आयोजित किये गए जिनमें मज़दूरों, किसानों, खेतिहर मज़दूरों, छात्रों, युवकों, महिलाओं ने भारी तादात में हिस्सा लिया. लाल झंडे फहराए गए और शहीद-स्तम्भों पर फूल मालाएं चढ़ायी गईं.

तमिलनाडु : अन्य यूनियनों के साथ मिलकर सीटू व एटक ने मई-दिवस एकजुट होकर मनाया. एक संयुक्त अपील भी जारी की गई. राज्य के विभिन्न केन्द्रों में आयोजित सभाओं को सीटू, एटक नेताओं ने सम्बोधित किया. मद्रास में एक विशाल जुलूस निकाला गया तथा एक सभा की गई. मदुरई में मई-दिवस बैंक, इन्शोरेंस, डाक-तार, सरकारी कर्मचारियों व अध्यापकों के साथ मिलकर मनाया गया. कोयंबतूर, त्रिची, सालेम में व अन्य केन्द्रों में विशाल रैलियां आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं.

उत्तर प्रदेश : सभी औद्योगिक क्षेत्रों में मई-दिवस मनाया गया. कानपुर में सीटू ने जे.के. रेयान, जे.के. जूट, अन्नपूर्णा बिस्कुट फैक्ट्री, एल्गिन मिल्स आदि के संघर्षरत मज़दूरों के साथ मिलकर एक विशाल सभा आयोजित की. रैली को श्रीधर शर्मा, रवि सिन्हा, देवीकृष्ण मिश्रा, श्याम सुन्दर, राजेन्द्र सिंह, अरविंद कुमार आदि ने सम्बोधित किया. राज्य के विभिन्न अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार की रैलियां आयोजित की गईं.

बिहार : सीटू व विभिन्न अन्य यूनियनों व एसोसिएशनों ने पटना में एक विशाल रैली आयोजित की. ऐसी रैलियां जमशेदपुर की इस्पात नगरी, धनबाद के कोयला क्षेत्र और राज्य के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में आयोजित की गई.

महाराष्ट्र, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, आंन्ध्र-प्रदेश, कर्नाटक, हरयाणा आदि राज्यों से प्राप्त समाचारों से मालूम हुआ है कि इन राज्यों में मई-दिवस के दिन अनेक रैलियां व जुलूस आयोजित किये गए.

पश्चिम बंगाल की तरह त्रिपुरा व केरल में भी मई-दिवस के दिन छुट्टी की घोषणा की गई और इन राज्यों में विभिन्न स्थानों पर विशाल रैलियां व जुलूस आयोजित किए गए. □

कांग्रेस(आई) गुंडों द्वारा सीटू नेता पर हमला

विक्रम काटन मिल कर्मचारी संघ (सीटू) के सचिव इब्राहिम सिद्धिकी पर लखनऊ में 12 अप्रैल की रात को क्षेत्र के जाने-माने समाजविरोधी तत्वों की मदद से यूथ कांग्रेस (आई) के नेताओं ने घातक हथियारों से हमला बोल दिया. पुलिस के साथ सांठगांठ करके सुनियोजित ढंग से हमला किया गया था. बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है. हाल ही में खास तौर से सीटू के कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार के सुनियोजित्त हमले राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं. मजदूरों में सीटू के बढ़ते प्रभाव को रोकना ही इनका स्पष्ट इरादा है. इससे पहले कांग्रेस (आई) व समाजविरोधी तत्वों के दलों द्वारा के.पी. सिंह, राम कुमार त्रिपाठी, इंद्रपाल सिंह, हरसहाए सिंह, रवि सिन्हा, शिवलाल सिंह, आदि पर हमले किए गए थे. सीटू की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी ने सभी यूनियनों का ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं पर हमलों का संयुक्त प्रतिरोध करने और सरकार से समाज-विरोधी तत्वों को गिरफ्तार करने का आह्वान किया है. □

अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल

एल्गिन मिल न. 2 के 20 उत्पीड़ित कर्मचारियों की बहाली की मांग करते हुए सूती मिल मजदूर सभा (सीटू) के नेतृत्व में मजदूरों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 6 मई को सोलहवें दिन में प्रवेश कर गई. मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के चक्रपाणी दीक्षित और नबी अहमद ने भी इस दिन भूख हड़ताल की. मजदूरों को संबोधित करते हुए डी वाई एफ आई के दुर्गा तिवाड़ी ने सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा की जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय भारी संख्या में मजदूरों को उनकी ट्रेड यूनियन गतिविधियों के कारण नौकरी से निकाल कर बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि कर रही है. उन्होंने मिल मजदूरों का आह्वान किया कि वे संघर्ष को तब तक जारी रखें जब तक उत्पीड़ित मजदूर बहाल नहीं किए जाते. □

समाचार कर्मचारी यूनियन

अलाहाबाद समाचार कर्मचारी यूनियन (सीटू) का पहला सालाना सम्मेलन 9 मई को जी.सी. गहराना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ. सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीटू की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के अध्यक्ष हरसहाय सिंह ने मजदूरों का ध्यान कांग्रेस (आई) द्वारा केंद्र व राज्य में अपनाए गए एक के बाद एक अधिनायकवादी कदमों और श्रम विरोधी कानूनों की ओर खींचा और उनका आह्वान किया कि वे मालिकान के खिलाफ अपनी फौरी मांगों को मजदूर वर्ग की आम मांगों के साथ जोड़ते हुए अपने संघर्षों को आगे बढ़ाएं. अनेक बिरादराना प्रतिनिधियों ने सम्मेलन को शुभकामनाएं दीं. दस सदस्यों ने सचिव की रिपोर्ट पर बहस में हिस्सा लिया जो सर्वसम्मत्ति के साथ पारित हुई. सम्मेलन ने कीमत वृद्धि के खिलाफ, एस्मा व एन एस ए के खिलाफ, सरकार की श्रमविरोधी नीतियों के खिलाफ और कांग्रेस (आई) निजाम में बिगड़ती कानून व व्यवस्था पर प्रस्ताव अपनाए. जी.सी. गहराना, ए.एस. दिवाकर और एच.पी. श्रीवास्तव क्रमश: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव चुने गए. □

मेडिकल एंड सेल्ज रिप्रेजेंटेटिव्ज एसोसिएशन

यू.पी. मेडिकल एंड सेल्ज रिप्रेजेंटेटिव्ज एसोसिएशन (यू.पी. एम. एस. आर. ए.) का 8 व 9 मई को लखनऊ में अपने उद्घाटन सम्मेलन में औपचारिक तौर पर निर्माण हो गया है. उद्घाटन सम्मेलन से पहले उत्तर प्रदेश के मेडिकल एंड सेल्ज रिप्रेजेंटेटिव्ज का एक राज्यव्यापी सम्मेलन वाराणसी में संपन्न हुआ था जिसने संगठन बनाने का फैसला सर्वसम्मत्ति से किया था और कार्य को पूरा करने के लिए एक तालमेल कमेटी का निर्माण किया था. तालमेल कमेटी ने नगरानुसार सम्मेलन आयोजित किए जिनमें सात सौ से भी ज्यादा क्षेत्र-कर्मचारियों ने फैसले का समर्थन किया. राज्य के विभिन्न शहरों से 500 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने उद्घाटन सम्मेलन में हिस्सा लिया. अनेक बिरादराना प्रतिनिधियों ने नए संगठन को शुभकामनाएं दीं. यू पी एम एस आर ए ने सर्वसम्मत्ति से फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज एसोसिएशन ऑफ इंडिया से संबद्ध होने का फैसला किया. रथीन चौधुरी व राकेश पाण्डे यू पी एम एस आर ए के क्रमशः अध्यक्ष व महासचिव चुने गए. □

सरकार द्वारा आश्वासन का उल्लंघन

जे.के. जूट मजदूरों की हड़ताल, जो सरकार द्वारा 24 अप्रैल को गैर-कानूनी घोषित करने के बाद भी जारी रही, 7 मई को 83 दिन की हड़ताल के बाद यू.पी. राज्य के अतिरिक्त श्रमायुक्त के आश्वासनों के बाद वापस ले ली गई. हालांकि मजदूर अपने काम पर चले गए लेकिन प्रबंधकों ने बर्खास्त किए गए 17 कार्यकर्ताओं को बहाल करने से इंकार कर दिया. गिरफ्तार किए गए आठ मजदूरों को भी अभी तक नहीं छोड़ा गया है. प्रबंधकों द्वारा मजदूरों को तंग किया जाना अभी जारी है. एक प्रैस वक्तव्य में सीटू की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी के महासचिव दौलत राम ने सरकार की मजदूरों के प्रति पाखण्डी नीति की निन्दा की. उन्होंने सरकार पर दोष लगाया कि इसने हड़ताल व लाकआउट दोनों को ही गैर-कानूनी घोषित करने के लिए आधार तैयार करने के लिए प्रबंधकों के साथ

साजिश की है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह प्रबंधकों को मजदूरों की मांगों पर समझौता करने के लिए, सभी उत्पीड़ित कर्मचारियों को बहाल करने तथा गिरफ्तार किए गए कार्यकर्त्ताओं को रिहा करने के लिए मजबूर करे. उन्होंने फिर मजदूरों का अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए एक लंबे संघर्ष की तैयारी करने का आह्वान किया. □

रिजर्व बैंक कर्मचारियों का संघर्ष जारी

कार्यभार में 15 प्रतिशत वृद्धि, चौथी जनरेशन के कम्प्यूटर को लगाने और भारी तादात में उत्पीड़न करने के खिलाफ रिजर्व बैंक कर्मचारियों का देशव्यापी संघर्ष जारी है. जहां बढ़े हुए कार्यभार के खिलाफ प्रतिरोध दफ्तर का समय खत्म होने पर अतिरिक्त कार्य वापस लौटाकर किया जा रहा है, वहां विभिन्न केन्द्रों में उत्पीड़न के मामलों की वापसी की मांग करते हुए प्रदर्शन व प्रतिनिधिमंडल आयोजित किए जा रहे हैं. प्रबन्धकों ने पहले ही 14 बर्खास्तगी आदेश, 54 बर्खास्तगी नोटिस, 10 सेवामुक्ति नोटिस, 56 मुअत्तिली आदेश और कई चार्जशीटें दे दी हैं. कलकत्ता में बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन, पश्चिम बंगाल, व इसकी यूनिटों के नेतृत्व वाले 500 बैंक कर्मचारियों ने रिजर्व बैंक मुख्यालय के सामने 7 मई को 10 बजे से शाम 5 बजे तक धरना कार्यक्रम में भाग लिया. दोपहर बाद विभिन्न बैंकों के 5,000 कर्मचारियों ने घटना-स्थल पर एक विशाल रैली आयोजित की. फेडरेशन की ब्रांच यूनिटें 11 मई को समूचे राज्य में विवाद पर बातचीत द्वारा समझौता करने की मांग करते हुए ब्रांच मैनेजरों के पास दोपहर के खाने के वक्त जन-प्रतिनिधिमण्डल ले गईं.

उत्पीड़न के खिलाफ आन्दोलनात्मक कदमों के अलावा संघर्ष को कानूनी क्षेत्र में भी ले जाया गया है. जयपुर में एक रिट पेटीशन पर हाई-कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक यह मामला खत्म नहीं हो जाता उत्पीड़ित कर्मचारी उतना वेतन पाते रहेंगे जितना उन्हें उत्पीड़न से पहले मिला था. ऑल इन्डिया रिजर्व बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन की दिल्ली ब्रांच के सचिव एच.सी. शर्मा की अपील सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है और आदेश दिया है कि मामले के खत्म होने तक उन्हें उनके मूल वेतन व साथ ही उसके 25 प्रतिशत तक जीवन-यापन भत्ता दिया जाय.

यू.पी. बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन के महासचिव अर्जुन प्रसाद ने एक प्रेस वक्तव्य में प्रबन्धकों से मांग की है कि सभी दंडात्मक कदमों को तुरन्त वापस लिया जाए. समूचे देश के विभिन्न संगठनों ने रिजर्व बैंक कर्मचारियों के संघर्ष के साथ एकजुटता व्यक्त की है. □

सीमेंट मजदूरों की देशव्यापी आन्दोलन की तैयारी

देश की सभी गैर-इंटक यूनियनों के सीमेंट मजदूर नई दिल्ली में 31 मई को सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन व इंटक की उद्योग के नब्बे हजार मजदूरों पर मध्यस्थता थोपने की साजिश के खिलाफ संयुक्त आन्दोलन की एक योजना बनाने के लिए मिलेंगे. मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपते हुए इंटक के महासचिव जी. रामानुजम व आर.पी. निवेतिया द्वारा मध्यस्थता आगे बढ़ रही है और इसने हाल ही में हुई कीमत वृद्धि के द्वारा मालिकान द्वारा कमाए गए भारी मुनाफे के बावजूद मजदूरों को मात्र 80 रुपये महीना की अन्तरिम राहत देने की घोषणा की है. इस भेंट की एवज में मध्यस्थों ने हर उत्पादन यूनिट में "उत्पादन व उत्पादकता को अधिकतम बनाने की जरूरत" की मांग की है. इसप्रकार इंटक के महा-सचिव ने सीमेंट मालिकान को मजदूरों को की जाने वाली अदायगी की पूर्ति के लिए मजदूरों के कार्यभार बढ़ाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है. सीटू नेतृत्व एटक व डी.एम.के. यूनियनों से मिला है जो एक संयुक्त आन्दोलन के लिए सहमत हो गए हैं. □

सीटू द्वारा कामगार महिला की मृत्यु की जांच की मांग

आल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग विमैन (सीटू) की सचिव, विमला रणदिवे ने 12 मई को जारी किए गए एक प्रेस वक्तव्य में कहा है कि 28 दिसम्बर को वेरावल, गुजरात, में ठेकेदार के खेमे में मेरी वक्काचन की मृत्यु की खौफनाक खबर, जो 12 मई को प्रकाशित हुई है, एक बार फिर यह दर्शाती है कि किस प्रकार सारे श्रम-कानून धराशायी हो रहे हैं और कांग्रेस(आई) निजाम में समाज के कमजोर तबकों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है.

खबर के अनुसार एम.पी. चोपड़ा की मलकियत की एक संस्था मैसर्ज रविरत्न एक्सपोर्टर्स लिमिटेड में काम करने के लिए श्रम ठेकेदार कोई के. नारबर्ट वक्काचन को उसकी दो बहिनों सहित केरल से लाया. अन्य लड़कियों के साथ उसे भी ठेकेदारों के आदमियों के साथ उसी बन्द ब्लॉक में रहने के लिए मजबूर किया गया. उसके साथ बलात्कार किया गया, उसे सताया गया और भूत भगाने की प्रक्रिया में संदिग्ध हालात में मार दिया गया.

सीटू ने भारत सरकार व गुजरात सरकार, जो दोनों कांग्रेस(आई) के नेतृत्व वाली सरकारें हैं, की निन्दा की है क्योंकि वे अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार व ठेका-श्रम के कानूनों

(शेष पृष्ठ पंद्रह पर)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्पीड़ित लोकोकर्मियों के लिए राहत के आदेश

उत्पीड़ित लोको रनिंग स्टाफ डी एन्ड ए नियमों के नियम 14 (ii) के तहत की गई सीधी बर्खास्तगियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं. समय समय पर की गई संगठनात्मक कार्यवाहियों के अलावा वे गम्भीर कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहे हैं. कई हाई कोर्टों ने क्वार्टरों तथा वेतनों की अदायगी के सम्बन्ध में पी. एफ. में पर्याप्त राशि की शर्त पर अंतरिम आदेश जारी किए हैं. एक मामले में केरल हाईकोर्ट ने आदेश रद्द कर दिए हैं. एक दूसरे मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश को मान्यता दी थी जिसके खिलाफ वरिष्ठ एडवोकेट सोमनाथ चटर्जी, एम. पी., ने एक पेटीशन दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्थगनादेश दे दिए. रेलवे अधिकारियों ने पहले तो फीस दोगुनी करके अपने पक्ष के लिए तर्क-वितर्क करने के लिए श्रेष्ठतम कानूनी योग्यता हासिल करने की कोशिश की. फिर यह जानने पर कि हाई कोर्टों में ऐसे कामों से कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो उन्होंने मामलों को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की देर करने वाली प्रक्रिया शुरू की जिसके लिए रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर एस्टेबलिशमेंट द्वारा एक डी ओ पत्र न. ई (डी एन्ड ए) 81 आर जी 6-7 तिथि 9.7.81 जारी किया गया.

यहां उन्हें तब भारी धक्का पहुंचा जब न्यायधीश श्री डी ए देसाई व अन्यों ने 19.4.82 को कई पेटीशनों पर यह आदेश दिया कि रेलवे अधिकारी लोकोकर्मियों को उनके पी. एफ. खातों को मध्येनजर न रखते हुए उन द्वारा प्राप्त किया गया अंतिम वेतन अवश्य देता रहे और यह अधिकारियों की मर्जी है कि इन मजदूरों से काम ले या न ले. रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर ने तुरंत 20 अप्रैल को एक और डी. ओ. पत्र में निदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट में और कोई मामले नहीं ले जाए जाएं और मामलों पर हाई कोर्टों में सभी उपलब्ध आधारों पर लड़ा जाए.

आदेशों के स्पष्टीकरण के लिए लोकोकर्मी 3 मई को फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायधीश पी. एन. भगवती व डी. ए. देसाई ने आदेश दिया कि रेलवे अधिकारी जनवरी 1982 से पूरा वेतन अदा करें लेकिन दिसम्बर 1981 तक के बकाया के बारे में उन्होंने कहा कि वेतन का 50 प्रतिशत अदा किया जाए और यह अदायगी एक महीने के भीतर पी. एफ. खाते को मध्येनजर न रखते हुए, की जाए. उत्पीड़ित लोकोकर्मियों को क्वार्टर, चिकित्सा, पास, शिक्षा, आदि जैसी सभी सुविधाएं भी मिलनी चाहिएं उत्पीड़ित लोकोकर्मियों की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट एम. के. राममूर्ति पेश हुए और उनकी सहायता उमेश मिश्रा, जे. राममूर्ति आर. वैगई व अन्य एडवोकेटों ने की.

समर मुखर्जी, एम. पी., ने प्रधान मंत्री के नाम एक पत्र में यह बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक बार फिर यह सिद्ध करता है कि लोकोकर्मियों को न्याय से वंचित रखा गया है. उन्होंने एक बार फिर प्रसाधनों को व्यर्थ गंवाने के इस मूर्खतापूर्ण तरीके का विरोध किया और उत्पीड़न के खात्मे व सामान्य स्थिति बहाल करने की मांग की.

12-सदस्यीय दल की बैठक

श्रेणी- अनुसार 11 एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व करने वाला 12-सदस्यीय दल 25 अप्रैल को दिल्ली में मिला. प्रतिरोध सप्ताह की समीक्षा करते हुए यह नोट किया गया कि कई केन्द्रों में अधिकारियों ने चार्जशीटें जारी करके और या उनको भी मुअत्तिल करके जो काम पर गए थे आतंक पैदा करने की कोशिश की. इसके परिणामस्वरूप कुछ घटक यूनिटों ने सक्रिय हिस्सा नहीं लिया. इसके बावजूद, कई केन्द्रों में प्रतिरोध सप्ताह मनाया गया.

दल ने केन्द्रीय, पश्चिमी, दक्षिण केन्द्रीय व दक्षिण रेलवेज के दौरे के पहले कार्यक्रम को 20 जून से पूरा करने तथा 27 जून को फिर से मद्रास में मिलने का फैसला किया.

यह भी फैसला लिया गया कि निम्नलिखित विषयों पर अगस्त 1982 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में एक सम्मेलन/गोष्ठी आयोजित की जाए :

1. रेलवे में दुर्घटना व सुरक्षा.
2. तकनीकी के आधुनिकीकरण व इसके प्रभाव.
3. रेलवेकर्मियों की समस्याएं व औद्योगिक सम्बंध.
4. यात्री-जनता की समस्याएं.

एल आर एस ए वर्किंग कमेटी

एल आर एस ए की वर्किंग कमेटी की 28-29 अप्रैल को दिल्ली में एक बैठक हुई. इसमें 12-सदस्यीय दल द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम का समर्थन किया गया और इसने अपनी सभी यूनिटों को गोष्ठी को महान सफलता देने के लिए इसके विषयों के सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री जुटाने का निदेश दिया. इसने कानूनी सुरक्षा को मजबूत करने का भी फैसला लिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मध्येनजर रखते हुए इसने सभी लोको रनिंग स्टाफ से संगठन को मजबूत करने की अपील की. केन्द्रीय पदाधिकारियों के दौरे का भी एक कार्यक्रम तैयार किया गया. बैठक ने अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर हर जगह 4 जून को मनाने के लिए सभी यूनिटों को निदेश दिया. बैठक ने कई प्रस्ताव अपनाए जिनमें एक प्रस्ताव रेलवे मंत्री के एल आर एस ए व स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के सम्बन्ध में बयान, जिसमें उनके जुझारू संघर्षों की निंदा की गई थी, की आलोचना पर भी शामिल है. एक प्रस्ताव में कमेटी ने बम्बई के टेक्सटाइल मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त की.

सालाना बैठकें, सम्मेलन

एन एफ रेलवे जोनल एल आर एस ए की सालाना बैठक न्यू बोंगई गांव में 1 से 3 मई 1982 को सम्पन्न हुई.

आल इन्डिया शंटिंग, केबिन एन्ड यार्ड स्टाफ एसोसिएशन की सालाना बैठक 29 अप्रैल से एक मई 1982 को आगरा में में सम्पन्न हुई. □

पुलिस की गोली से दो सीमेंट मजदूरों की मृत्यु

पन्यम सीमेंट फैक्टरी, कुरनूल, के सभी 2 हजार मजदूरों की एकमात्र यूनियन पन्यम सीमेंट एम्पलाईज मजदूर यूनियन (सीटू) को हथियाने के लिए पुलिस व प्रबन्धकों ने एक योजना बनाई. और 12 अप्रैल को करीब 200 गुंडों की मदद से फैक्टरी के अहाते में इलाके के एक रईस जमींदार व उद्योगपति बी. एस मुर्लीधर रेड्डी के नेतृत्व में योजना को कार्यान्वित किया गया. आसपास के इन जाने माने गुंडों ने पुलिस की उपस्थिति में महिलाओं सहित मजदूरों की पिटाई की. पुलिस सब इंस्पैक्टर कोंडा रेड्डी ने बिलकुल पास से गोली चलाई जिससे 3 मजदूर मारे गए. कहा जाता है कि बन्दूक गुंडों की थी.

सीटू की आंध्र प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों ने एक बयान में सरकार, पुलिस प्रबन्धक व गुंडों के इस गठबन्धन की निंदा की और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है. न्यायिक जांच की मांग करते हुए पीड़ित परिवारों के उपयुक्त मुआवजे की भी मांग की गई है. एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य मंत्री से भी मिला जिसने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया हालांकि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है. मजदूरों का संघर्ष जारी है.

सीटू यूनियन पर पुलिस द्वारा हमला

श्री रायलासीमा पेपर मिल्ज, कुरनूल, के प्रबन्धकों ने बहुमत प्राप्त एस आर पी एम स्टाफ एन्ड वर्कर्स यूनियन (सीटू) के साथ एक समझौता करने के बाद इसे तोड़ने की साजिश की. मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर वसंत गुप्ता ने एक विरोधी यूनियन बनाई और 29 मार्च को सवेरे 3 बजे कुरनूल में सीटू कार्यालय पर धावा बोला, सम्पत्ति नष्ट कर दी. अगले दिन भी हमला किया गया, 15 कुर्सियां उठा कर ले गए, 14 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया. जिला सी पी आई (एम) के सचिव टी. नर्सीमैय्याह सहित अब तक 56 नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही मजदूर बस्तियों पर भी हमला किया गया, उनके घर लूटे गए और करीब 150 मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया है. मजदूर इसके खिलाफ संघर्षरत हैं और सीटू ने निकाले गए साथियों की बहाली की मांग की है.

कर्नाटक समाचार

बीड़ी मजदूरों द्वारा ठेका प्रणाली के खात्मे की मांग

कर्नाटक स्टेट बीड़ी वर्कर्स फेडरेशन का चौथा सम्मेलन बांटवल में 24 व 25 अप्रैल को सम्पन्न हुआ जिसमें 60 महिलाओं सहित 110 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. राज्य सीटू अध्यक्ष एस. सूर्यनारायण राव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की. वयोवृद्ध नेता बी. एच. बांगेरा ने लाल झंडा फहराया. राज्य सीटू के महासचिव सी. नंजुन्दप्पा ने इसका उद्घाटन किया.

फेडरेशन के महासचिव मुहम्मद दस्तगीर ने अपनी रिपोर्ट में साढ़े पांच लाख बीड़ी मजदूरों की समस्याओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि बीड़ी मजदूरों को ठेकेदार नियुक्त करते हैं. इन मजदूरों को बीड़ी एन्ड सिगार वर्कर्स (कंडीशन आफ एंप्लायमेंट) एक्ट के तहत कोई सुविधाएं नहीं मिलती. महिला मजदूरों को पुरुषों के नाम से दर्ज किया जाता है ताकि उन्हें प्रसूति सुविधा न देनी पड़े.

आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वीमैन्न की सचिव विमल रणदिवे ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए सीटू को तथा वामपंथी व जनवादी ताकतों को मजबूत करने का आह्वान किया. उन्होंने न्यूक्लीयर युद्ध के खिलाफ व शान्ति के लिए अपनी आवाज बुलंद करने का भी आह्वान किया.

सम्मेलन में ठेका प्रथा की समाप्ति, भविष्य निधि योजना, 20 प्रतिशत बोनस, 12 रुपये प्रति हजार बीड़ी वेतन, आदि की मांग की गई. सम्मेलन ने 24 मई को प्रदर्शन व पिकेटिंग करने का कार्यक्रम भी बनाया. इसमें कीमत वृद्धि के खिलाफ, बीड़ी मजदूरों की चल सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के ताकि कर्ज वापस लिया जा सके के खिलाफ, एस्मा व एन एस ए के खिलाफ भी तथा बम्बई के टैक्सटाइल मजदूरों के समर्थन में प्रस्ताव अपनाए गए.

25 अप्रैल को आयोजित एक भारी रैली को अलग इन्डिया वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव सी. कन्नन ने अन्यों के अलावा सम्बोधित किया. □

प्रबन्धकों के गुंडों द्वारा मजदूरों पर हमला

अठारह साल से कार्यरत राव इंसुलेटिंग कम्पनी, व्हाइट-फील्ड बंगलौर के मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में संघर्ष करने के लिए बंगलौर ईस्ट इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन बनाई और इसे सीटू से सम्बद्ध करा लिया. इसके बाद उन पर भारी दमन शुरू हुआ. 29 अप्रैल को गुंडों ने घातक हथियारों के साथ मजदूरों पर, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, हमला किया. कहा जाता है पुलिस ने गुंडों को लाठियां दीं. अगले दिन कम्पनी में लाकआउट कर दिया गया. मजदूरों के प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई.

सीटू ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है. अपनी मांगों के समर्थन में मुख्य मंत्री के समक्ष प्रदर्शन करने तथा क्षेत्र में मजदूरों के संघर्षों का समर्थन करने के लिए एक दिन की हड़ताल करने का फैसला लिया गया. □

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह समाचार

प्रसाद की नाजायज गिरफ्तारी

अंडमान व निकोबार गवर्नमेंट एम्प्लाईज फेडरेशन के अध्यक्ष तथा ठेका मजदूर सलाहकार बोर्ड के सदस्य पी.के.एस. प्रसाद को 11 मई को सम्पन्न बोर्ड की बैठक में श्रम-सचिव के साथ झड़प हो जाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया. इस नाजायज गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिरोध प्रदर्शन को पुलिस ने तोड़ दिया और कुछ मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि मजदूरों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है लेकिन प्रसाद 11 मई से जेल में ही हैं.

स्टेचुटरी बोर्ड के कार्यप्रणाली से पिछले कई दशकों के इतिहास में इस घटना को अनसुना बताते हुए सीटू केन्द्र ने प्रसाद की रिहाई और अंडमान के श्रम-सचिव के व्यवहार की जांच के लिए श्रम व गृह-मंत्रालय के साथ सम्पर्क स्थापित किया है.

मजदूरों में रोष बढ़ रहा है और वे भारत सरकार के पास प्रतिरोध टेलीग्राम भेज रहे हैं. □

त्रिपुरा समाचार

राज्य सीटू का पांचवा सम्मेलन

सीटू का पांचवा राज्य सम्मेलन 29 अप्रैल को अगरतला में सम्पन्न हुआ. साठ यूनियनों के 300 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों तथा 25 बिरादराना प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया. सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सी.पी.आई(एम) की केन्द्रीय समिति के सदस्य व त्रिपुरा के मुख्य मंत्री नृपेन चक्रवर्ती ने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे कांग्रेस(आई) सरकार की श्रम-विरोधी तथा इजारेदारपरस्त नीतियों के खिलाफ मजदूरों, किसानों तथा मेहनतकश जनता के सभी हिस्सों को एकजुट करें. उन्होंने कहा कि एक तरफ इन्दिरा निजाम अपने बढ़ते अधिनायकवाद द्वारा जनता के जनवादी अधिकारों की जड़ पर ही हमले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकारें जनवादी प्रक्रिया के विस्तार के लिए अथक संघर्ष कर रही हैं. इससे पहले वयोवृद्ध नेता चित्त चंदा ने चिल्ड्रन पार्क में 500 मजदूरों की सभा द्वारा गगनभेदी नारों के बीच लाल झंडा फहराया. सम्मेलन में एक 33-सदस्यीय राज्य कमेटी चुनी गई जिसके अध्यक्ष बैद्यनाथ मजूमदार तथा महासचिव बीरेन दत्ता चुने गए.

सीटू के कोषाध्यक्ष समर मुखर्जी, एम.पी. ने खुले अधिवेशन को संबोधित किया. □

एच.एस.सी.एल. मजदूर यूनियनों का सालाना सम्मेलन

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन का चौथा सालाना सम्मेलन 17 अप्रैल को कलकत्ता में सम्पन्न हुआ. अपनी रिपोर्ट में महासचिव एस.एल. बोस ने प्रबन्धकों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ यूनियन के संघर्षों की समीक्षा की. उन्होंने ऑल इण्डिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एच.एस.सी.एल. वर्कर्स एन्ड एम्प्लाईज यूनियंज की गतिविधियों के बारे में भी बताया. सम्मेलन में गुप्त मतदान द्वारा यूनियनों को मान्यता पर; एस्मा, एन.एस.ए. व आई.एम.एफ कर्ज के खिलाफ और छंटनी के खिलाफ आदि प्रस्ताव अपनाए गए. इसने पुनः समर मुखर्जी, एम.पी., को अध्यक्ष; के.सी. घोष को कार्यकारी अध्यक्ष और एस.एल. बोस को महासचिव चुना. □

महंगाई के आंकड़े

आधार 1960

राज्य/केन्द्र	1981-82 दिसं.	जन.	फर.
बिहार			
जमशेदपुर	430	433	434
झरिया	440	436	434
कोडरमा	490	494	497
मोंघाइर	496	484	481
नोआमुंडी	431	435	445
गुजरात			
अहमदाबाद	443	460	465
भावनगर	464	462	463
हरयाणा			
यमुनानगर	487	489	482
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	477	477	481
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	478	479	478
भोपाल	485	485	504
ग्वालियर	468	469	472
इन्दौर	483	491	501
महाराष्ट्र			
बम्बई	469	468	469
नागपुर	479	485	480
शोलापुर	521	530	517
पंजाब			
अमृतसर	472	467	470
राजस्थान			
अजमेर	483	488	483
जयपुर	492	496	494
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	440	441	442
सहारनपुर	467	467	470
वाराणसी	496	495	497
पश्चिम बंगाल			
आसनसोल	467	462	457
कलकत्ता	426	419	413
दार्जीलिंग	378	382	380
हावड़ा	405	403	396
जलपाईगुड़ी	357	355	354
रानीगंज	451	446	440
दिल्ली	474	476	474
भारत	460	459	458

वेतन समझौता वार्ताएं

[पृष्ठ चार से आगे]

के साथ सलाह द्वारा कोयला सम्मेलन के लिए तारीखों व स्थान के बारे में जल्दी ही फैसला लिया जाएगा.

इन उद्योगों के ट्रेड यूनियन आन्दोलन के इतिहास में ऐसे एकजुट उद्योगानुसार सम्मेलन पहली बार बुलाए जा रहे हैं. इनसे इन उद्योगों के मजदूरों की एकता और मजबूत होगी तथा देशव्यापी संघर्षों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 10 लाख मजदूर लामबंद होंगे. क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगारों की आधी तादात इन संस्थानों में है इसलिए इन मजदूरों के आन्दोलन का सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के समूचे आन्दोलन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा.

सार्वजनिक क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों को इन सम्मेलनों को गम्भीरता से लेना चाहिए और संयुक्त कार्यवाही के कार्यक्रम तय करने में उन्हें सफल बनाने के लिए हर काम करना चाहिए. यदि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में मजदूर वर्ग एकजुट होकर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है तो बी. पी. ई. के निर्देशों को शिकस्त देना सम्भव होगा. □

एकजुट संघर्ष की कोशिशें . . .

[पृष्ठ पांच से आगे]

बाद हर संगठन गम्भीरता के साथ अभियान चलाए ताकि यदि सरकार मंहगाई भत्ते की किश्त नहीं देती है या अन्य मांगों पर विचार करने में नाकामयाब होती है तो एक शक्तिशाली एकजुट आन्दोलन किया जा सके. सब इससे सहमत थे कि बाहर एक शक्तिशाली एकजुट आन्दोलन के बिना जे सी एम के द्वारा समझौता वार्ताऐं ऐच्छिक परिणाम नहीं देंगी. इसी बीच एस. के. व्यास व के. एन. मैथ्यू को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे ए आई आर एफ सहित सभी संगठनों को एक एकजुट मंच पर आने के लिए मनाएं. केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की एकता फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया इस प्रकार शुरू हो गई है. □

लोकल-बॉडी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी

जिन लोकल-बाडियों में दस या उससे ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं उनके कर्मचारियों को 23 जनवरी को (एस.ओ. नं. 239) गजट में एक नोटिफिकेशन प्रकाशित करके पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ला दिया है जिससे अब इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिला करेगी. □

संपादक मंडल

बी.टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम.के. पंधे (संपादक)

राजस्थान समाचार

[पृष्ठ सात से आगे]

(आई) सरकार का यह कदम मजदूरों की जायज मांगों के प्रति इसके अधिनायकवादी चरित्र और उनके संगठनों के साथ टकराव की इसकी नीति को दर्शाता है. उन्होंने एकजुट होकर हड़ताल करने के लिए मजदूरों को बधाई दी और सभी संबद्ध यूनियनों का हड़ताली मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त करने का आह्वान किया. □

टैक्सटाइल मजदूर

राजस्थान के टैक्सटाइल मजदूर 15 अप्रैल को एक दिन की सफल हड़ताल के बाद 15 मई के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं. अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला मजदूरों की लंबे अर्से से चली आ रही मांगों के प्रति मालिकान के अड़ियल रवैये को मध्येनजर रखते हुए किया गया है. सीटू की राज्य कमेटी ने 28 अप्रैल को अपनी बैठक में समूचे राज्य में हड़ताल को संपूर्ण बनाने के लिए सभी संगठनों से बातचीत करने का फैसला किया. □

कामगार महिला की मृत्यु

[पृष्ठ ग्यारह से आगे]

को लागू करने में नाकामयाब रही हैं. सीटू ने पुलिस पर भी इस मामले में सह-अपराध का दोष लगाया है क्योंकि वक्काचन के मृतक शरीर को वे अस्पताल ले गए थे. मामले में पूरी छानबीन तथा दोषियों को सजा देने की मांग करते हुए सीटू ने सभी जनवादी संगठनों व ट्रेड यूनियनों से अपील की है कि वे अन्तर्राज्यीय प्रवासी व ठेका-श्रम, खास तौर से कामगार महिलाओं के जो ठेकेदारों व उनके मुस्टंडों की कामुकता की शिकार बनाती हैं, के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें. □

टैक्सटाइल मजदूरों के साथ एकजुटता

राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर 27 अप्रैल को विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा बम्बई टैक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में एकजुटता दिवस के रूप में मनाया गया. विभिन्न इलाकों में बैठकें व रैलियां आयोजित की गईं. हड़ताली मजदूरों के प्रतिनिधित्व वाली यूनियनों के साथ बातचीत द्वारा समझौता करने की मांग करते हुए प्रस्ताव अपनाए गए और सरकार को भेजे गए. केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की कनफेडरेशन, पोस्टल अकाउंटस् कर्मचारियों के संगठन और निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों के मजदूरों के अन्य संगठनों ने बैठकें आयोजित कीं और सरकार के अड़ियल रवैये तथा बम्बई में टैक्सटाइल उद्योग में अल्पमत इंटक यूनियन को खुलेआम संरक्षण देने की निंदा की. अविचलित टैक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल 19 मई को पांचवे महीने में पहुंच गई. □

दमन के खिलाफ और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष

इजराइली आतंक : अमरीकी मास्टरों के राजनीतिक, मिलिटरी व आर्थिक समर्थन से मज्बूत होकर जियोनिस्ट इजराइल कब्जाए गए गाजा व वेस्ट बैंक के क्षेत्रों में फिलिस्तीनी अरब जनता पर दमन तेज कर रहा है. कुछ साथियों की मौत के बावजूद मजदूरों की लगातार हड़तालें और फिलिस्तीनियों का लोकप्रिय आन्दोलन कैंप डेविड समझौते के एक हिस्से के रूप में तथाकथित 'स्वायत्तता' थोपने के खिलाफ जनता के बहादुराना प्रतिरोध में एक नया स्तर है. यह एक बार फिर यह सिद्ध करता है कि शांति की स्थापना के लिए केवल एक ही रास्ता है : इजराइली सैनिकों को हटाया जाए और पी एल ओ के नेतृत्व में अपनी भूमि पर फिलिस्तीनी जनता के स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के लिए उनके अधिकार बहाल किए जाएं

दक्षिण अफ्रीका : फूड एंड कैनिंग वर्कर्स यूनियन के ट्रांसवाल सचिव डॉ. नील आगेट की हत्या ट्रेड यूनियनों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीकी रंगभेदी आतंक का परिणाम है. उन्हें नवम्बर 1981 में 20 अन्य साथियों के साथ बदनाम आतंक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया. इसके तहत अनिश्चितकाल तक बंदी बनाने, जेल में अकेला रखने, और सभी अधिकारों के खात्मे के प्रावधान हैं. इससे पहले साउथ अफ्रीकी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 53 कार्यकर्त्ताओं की जेल में हत्या की गई थी. डॉ आगेट की शवयात्रा दक्षिण अफ्रीकी रंगभेदी निजाम के खिलाफ एक प्रशंसनीय प्रदर्शन था.

पश्चिम जर्मनी : ईस्टर दिवस के दिन समूचे देश के पांच लाख मजदूरों ने नाटो व अमरीका द्वारा स्थापित पर्शिंग-2 मिसाइलों के न्यूक्लीयर अड्डों पर युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया. फ्रांकफोर्ट में भी 50 हजार लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया.

अमरीका : रीगन प्रशासन की शस्त्र दौड़ के खिलाफ शिकागो में 10 अप्रैल को एक शांति यात्रा में 25 हजार लोगों ने हिस्सा लिया. मई दिवस के दिन वाशिंगटन में भी ऐसा प्रदर्शन हुआ.

ग्रेट ब्रिटेन : समूचे ग्रेट ब्रिटेन में 5 से 11 अप्रैल तक मनाए गए शांति सप्ताह में बैठकें व जुलूस आयोजित किए गए. ग्लैसगो में 10 अप्रैल को 30 हजार लोगों ने ट्राइडेंट स्ट्रेटेजिक न्यूक्लीयर मिसाइलों को खरीदने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया.

इटली : न्यूक्लीयर शस्त्रों के खिलाफ सिसिली में कोमिसो में ट्रेड यूनियनों के संयोजन में 60 हजार लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों में पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, ब्रिटेन, नार्वे, फ्रांस, स्पेन व नैदरलैंडज के शांति आन्दोलन के प्रतिनिधि शामिल थे. □

मई दिवस पर वाशिंगटन में युद्ध विरोधी प्रदर्शन

एम.के. पंध द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंज के लिए 6 तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डी.ए. शेड्स, ओखला फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित.